## <u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. कमांक:— 58ए / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक:—05.01.2012</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000042012</u>

श्रीमती रम्मोबाई पिता भिल्लू, उम्र 65 वर्ष, निवासी सेमरया जोशी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादी

### वि रू द्व

- डोमा पिता मंगल सिंह गोंड, उम्र 45 वर्ष, निवासी सेमरया जोशी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

..... प्रतिवादीगण

# <u> --: ( निर्णय ) :--</u>

## (आज दिनांक 31.01.2017 को घोषित)

- 1 वादीगण द्वारा यह दावा ग्राम सेमरया जोशी तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 13 रकबा 1.594 हे. भूमि वादी संलग्न नक्शा अ, ब, स, ड से दर्शित (अत्र पश्चात विवादित भूमि से संबोधित) की स्वत्व घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2 प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क. 1 डोमासिंह के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य वंशवृक्ष एवं विवादित भूमि का पैतृक होना स्वीकृत है।
- 3 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता भिल्लू एवं प्रतिवादी के पिता मंगल आपस में भाई थे जिनकी खानदानी भूमि ख.नं. 13, 35, 36 एवं 81 ग्राम सेमरया जोशी में है। उपर्युक्त भूमियों का बंटवारा भिल्लू एवं मंगल के पिता काशीराम की मृत्यु उपरांत दोनों भाईयों के बीच में 40 वर्ष पूर्व हो चुका था जिसमें से ख.नं. 13 की संपूर्ण भूमि वादी के पिता भिल्लू को तथा शेष ख.नं. 35, 36 एवं 81 की भूमि प्रतिवादी के पिता

मंगल को प्राप्त हुई थी। भिल्लू की मृत्यु उपरांत विवादित भूमि ख.नं. 13 वादी रम्मोबाई को प्राप्त हुई एवं मंगल की मृत्यु उपरांत उसके हिस्से की भूमि प्रतिवादी क. 01 डोमा एवं उसके भाईयों को प्राप्त हुई। भिल्लू की मृत्यु उपरांत वादी ख.नं. 13 की संपूर्ण भूमि पर काबिज रही और वर्तमान में भी वह काबिज है। दिनांक 22.05.1990 का व्यवस्था पत्र पूर्णतः फर्जी एवं अवैधानिक है जिससे प्रतिवादी क. 01 को कोई स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त नहीं होता है तथा वादी के द्वारा कभी भी प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में कोई राजीनामा चिट्ठी भी नहीं लिखी गयी। प्रतिवादी क. 01 ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

- 4 प्रतिवादी क. 01 डोमा वादी को उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देता है। वादी के द्वारा इस डर से जब राजस्व दस्तावेजों की नकलें निकलवायी तो संशोधन पंजी दिनांक 22.10.2002 से यह पता चला कि विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01 डोमा के नाम पर दर्ज है। तब वादी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष वर्ष 2002 में अपील प्रस्तुत की गयी परंतु पेशी की जानकारी आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हो पायी। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क. 01 को विरोधी आधिपत्य के आधार पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है क्योंकि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क. 01 का कोई आधिपत्य रहा ही नहीं तथा प्रतिवादी क. 01 के द्वारा धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. का भी आवेदन दिया गया जिससे यह प्रकट होता है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर वादी का ही आधिपत्य है। वादी को विवादित भूमि पर किये गये नामांतरण की जानकारी नहीं थी। जब माह दिसम्बर 2011 में प्रतिवादी ने यह घमकी दी कि वह विवादित भूमि पर कब्जा कर लेगा, तब वादी के द्वारा विवादित भूमि के स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।
- 5 प्रतिवादीगण क 01 द्वारा वाद पत्र का जवाबदावा पेश कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि वादी की भूमि थी जिसे वादी के द्वारा प्रतिवादी क. 01 को व्यवस्था पत्र दिनांक 22.05.1990 के माध्यम से दे दी गयी तब से प्रतिवादी उक्त व्यवस्था पत्र के आधार पर राजस्व दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज कराकर विधिवत कब्जा कर कृषि कार्य करते चला आ रहा है। जब प्रतिवादी क. 01 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया तब वादी ने गवाहों के समक्ष एक राजीनामा चिट्ठी भी निष्पादित की थी जिसमें उसने विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01 को देना लेख किया था। इस प्रकार प्रतिवादी व्यवस्था पत्र एवं राजीनामा के आधार पर विवादित भूमि का स्वामी है और उस पर काबिज है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क. 01 शांतिपूर्ण काबिज है परंतु वादी एवं प्रतिवादी क. 01 के भाई भिक्कू एवं नंदलाल के द्वारा विवादित भूमि पर सिंचाई का साधन होने से उसे हड़पने के उद्देश्य से मारपीट कर विवादित भूमि एवं गांव से बाहर निकल जाने को मजबूर कर दिया जिसकी

शिकायत प्रतिवादी क. 01 ने थाने में भी की थी। चूंकि विवादित भूमि पर वर्ष 1990 से लगातार 20 वर्षों तक वादी की जानकारी में प्रतिवादी क. 01 का ही आधिपत्य रहा है इसलिए वह विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्वाधिकारी है। प्रतिवादी क. 01 का विवादित भूमि पर व्यवस्था पत्र एवं राजीनामा के आधार पर नाम आया है और उसी का विवादित भूमि पर लगातार कब्जा रहा है। अतः वादी का दावा अविध बाह्य होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

6 वाद के उचित एवं प्रभावपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :—

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या ग्राम सेमरया जोशी, तसहील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 13 रकबा 1.594 हे. भूमि वादिनी के एकमात्र स्वत्व व आधिपत्य की है ?	
2.	क्या क्या प्रतिवादी क. 01 वादिनी की उक्त भूमि पर अनाधिकृत हस्तक्षेप कर रहा है ?	
3.	क्या वादी का वाद समयाविध बाह्य है ?	
4.	सहायता एवं व्यय ?	

## विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमि ख.नं. 13 उसके पिता भिल्लू को बंटवारे में प्राप्त हुई थी तथा उसके पिता की मृत्यु उपरांत उसे प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी क. 1 ने अपने जवाबदावा के पैरा क. 02 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि ख.नं. 13 वादी की थी परंतु प्रतिवादी का आगे यह अभिवचन है कि वादी ने उसे विवादित भूमि व्यवस्था पत्र दिनांक 22.05. 1990 एवं राजीनामा चिट्ठी के आधार पर दी थी। तब से उसका नाम वर्ष 1992—93 से राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। अतः उपर्युक्त तथ्य साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। धारा 103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस संबंध में यह उपबंधित करती है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार

उस व्यक्ति पर होता है, जो न्यायालय से यह चाहता है, कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि वह किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। अतः उपर्युक्त आधार पर प्रतिवादी को भूमि प्राप्त हुई इसे साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। उभयपक्ष के मध्य यह स्वीकृत है कि विवादित भूमि ख.नं. 13 वादी के हिस्से की भूमि थी अतः अब यह देखा जाना है कि क्या वादी के द्वारा व्यवस्था पत्र व राजीनामा चिट्ठी लिखकर विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01 को दे दी गयी थी।

8 वादी रम्मोबाई (वा.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि विवादित जमीन पर उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका नाम था, यह बात उसे उसके पिता ने बतायी थी। प्रतिवादी साक्षी डोमा (प्र.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि लगभग 40 वर्ष पूर्व भिल्लू व मंगल के मध्य काशीराम के स्वत्व की 13 एकड़ भूमि का बंटवारा हो गया था जिसमें से 4 एकड़ भिल्लू को व शेष मंगल को मिली थी। भिल्लू की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की 4 एकड़ भूमि वादी रम्मो को प्राप्त हुई। पैरा क. 17 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि भिल्लू की मृत्यु उपरांत उसकी भूमि विवादित भूमि ख.नं. 13 भिल्लू की पुत्री रम्मो को प्राप्त हुई थी।

प्रतिवादी डोमा द्वारा विवादित भूमि पर अपना स्वत्व होने के संबंध में दस्तावेज व्यवस्था पत्र दिनांक 22.05.1990 (प्रदर्श डी-1), राजीनामा चिट्ठी (प्रदर्श डी-2), किश्तबंधी खतौनी वर्ष 2002 वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2011-12 कमशः प्रदर्श डी-4, प्रदर्श डी-5 एवं प्रदर्श डी-7 है, प्रस्तुत किया गया है। यदि दस्तावेज व्यवस्था पत्र (प्रदर्श डी–1) का अवलोकन किया जाये तो उससे यह दर्शित नहीं होता है कि वादी रम्मोबाई के द्वारा ख.नं. 13 प्रतिवादी डोमा को व्यवस्था पत्र दिनांक 22.05.1990 के माध्यम से दिया गया क्योंकि उक्त दस्तावेज में किसी ख.नं. का उल्लेख नहीं है और न ही कब्जा दिया जाना लेख है और न ही प्रतिवादी द्वारा इस दस्तावेज को प्रमाणित किया गया है। अब यदि राजीनामा चिट्ठी (प्रदर्श डी-2) का अवलोकन किया जाये तो उपर्युक्त चिट्ठी किस दिनांक व किसके समक्ष लेख की गयी स्पष्ट नहीं है। राजीनामा चिट्ठी में वादी रम्मो द्वारा अपने पिता की भूमि प्रतिवादी डोमा को चार पंचों के समक्ष दिया जाना लेख है परंतु किसी पंच के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज को प्रमाणित भी नहीं कराया गया है। जहां तक राजस्व दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी का प्रश्न है उसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नामांतरण से किसी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत हिमाचल प्रदेश राज्य विरुद्ध केशवराम ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 2181 एवं न्याय दृष्टांत बलवंतसिंह विरूद्ध दौलतसिंह ए.आई.आर. 1997 एस.सी.

#### अवलोकनीय है।

- प्रतिवादी अधिवक्ता का यह तर्क है कि गोंड़ रीति रिवाज अनुसार पुत्री को पिता की संपत्ति पर कोई हक प्राप्त नहीं होता। उपर्युक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत—लालसाई विरुद्ध बोधनराम, ए.आई.आर. 2001 मध्य प्रदेश 159 अवलोकनीय है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी हिन्दू लॉ से गबन होते हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होकर पैतृक संपत्ति में स्वत्व अर्जित करते हैं। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी गोंड आदिवासी महिला है। उक्त माननीय न्याय दृष्टांत के आलोक में वादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक संपत्ति में अपने स्वत्व अर्जित करने की पात्रता रखती है।
- प्रतिवादी के द्वारा विवादित भूमि पर अपना स्वत्व व्यवस्था पत्र, राजीनामा चिट्ठी के आधार पर होने का अभिवचन किया गया है परंतु प्रतिवादी उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त साद्व क्ष्य के दौरान प्रतिवादी द्वारा बिसार पत्र दिनांक 30.08.1984 (प्रदर्श डी-8) प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावा में कोई अभिवचन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अभिवचन से बाहर जाकर कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होती है। यदि इसके बाद भी उपर्युक्त दस्तावेज को देखा जाये तो इस बिसार पत्र के आधार पर प्रतिवादी के द्वारा कोई विक्रय पत्र लेख कराया हो या उसके संबंध में कोई कार्यवाही की गयी हो ऐसा प्रकट नहीं होता है। साथ ही उपर्युक्त दस्तावेज में विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य खसरा नंबर का भी उल्लेख हैं जिसमें से वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि बेची गयी ऐसा दर्शित हो रहा है। अतः उपर्युक्त दस्तावेज से भी प्रतिवादी के विवादित भूमि पर स्वत्व के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने विवादित भूमि ख.नं. 13 पर स्वत्व बंटवारे में उसे भूमि मिलने के आधार पर अपने कथनों में बताया है। इस प्रकार प्रतिवादी के द्वारा विवादित भूमि के स्वयं के स्वत्व की होने के संबंध में कई आधार दिये गये हैं। प्रतिवादी के द्वारा जिन दस्तावेजों को विवादित भूमि के स्वत्व प्राप्ति का आधार बनाया गया है उन्हें विधिवत प्रमाणित नहीं किया जा सका है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि विवादित भूमि ख.नं. 13 वादी द्वारा प्रतिवादी डोमा को दी गयी। चूंकि प्रतिवादी की यह स्वीकृति है कि विवादित भूमि ख.नं. 13 वादी को उसके पिता भिल्लू से प्राप्त हुई थी। स्वीकृति एक सर्वोत्तम साक्ष्य है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत Ahmedsaheb vs. sayed Ismail 2012 (4) MPLJ 571 में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है :- It is needless to emphasize that admission of a party in the proceeding either in the pleading or oral is the best evidence and the same does not need any further corroboration. अतः उपर्युक्त परिस्थिति में विवादित भूमि पर वादी का एकमात्र स्वत्व होना प्रमाणित

#### पाया जाता है।

- 12 जहां तक विवादित भूमि पर आधिपत्य का प्रश्न है, वहां वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमि पर उसका उसके पिता भिल्लू की मृत्यु उपरांत से कब्जा चला आ रहा है। जबिक प्रतिवादी का अभिवचन है कि वर्ष 1992—93 से विवादित भूमि पर वहीं काबिज है।
- वादी रम्मो (वा.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि जब से उसके पिता की मृत्यु हुई तब से वह काबिज है। साक्षी ने यह भी बताया है कि वह खेती नहीं करती है बिल्क बटायी से खेती नंदलाल से करवाती है। वादी रम्मो ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि उसका सिमिरया गांव में मकान नहीं है तथा वह जब सिमिरया आती है तब नंदलाल व भिक्कू के यहां रहती है। नौखेलाल (वा.सा.—2) ने भी विवादित भूमि पर वादी रम्मो के द्वारा नंदलाल से बटायी करवाना बताया है तथा यह भी बताया है कि वर्तमान में नंदलाल व भिक्कू का ही कब्जा है परंतु उपर्युक्त साक्षी ग्राम हरदोली का निवासी है तथा ग्राम सेमरया आना जाना करता है तब ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर आधिपत्य के संबंध में उक्त साक्षी की साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लच्छू (वा.सा.—3) ने भी वादी के अनुरूप कथन करते हुए विवादित भूमि पर वादी के पिता की मृत्यु उपरांत वादी का कब्जा होना व उसके द्वारा कुछ वर्षों उपरांत अपना खेत बटायी पर दिया जाना बताया है।
- प्रतिवादी डोमा (प्र.सा.—1) ने विवादित भूमि पर वादी का कब्जा होने से इनकार करते हुए स्वयं का काबिज होना बताया है तथा विवादित भूमि पर स्वयं के आधिपत्य के संबंध में सिंचाई परचा बिल 1 लगायत 7 (प्रदर्श डी—9) एवं सहकारी सेवा समिति द्वारा प्रदत्त खाद, बीज की रसीद 1 लगायत 8 (प्रदर्श डी—10) प्रस्तुत किया है तथा साथ ही राजस्व दस्तावेज खसरा पांचसाला वर्ष 1992—93 (प्रदर्श डी—3), खसरा वर्ष 2012 (प्रदर्श डी—6) प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सिंचाई परचा बिल एवं खाद बीज की रसीदों में अलग—अलग खसरा नंबर लेख है अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त दस्तावेजों से विवादित भूमि प्रतिवादी के आधिपत्य में होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता परंतु राजस्व दस्तावेज के अवलोकन से विवादित भूमि पर कब्जेदार के रूप में प्रतिवादी डोमा का नाम लेख होना दर्शित होता है।
- 15 प्रतिवादी अधिवक्ता का यह तर्क है कि वर्ष 1990—92 से प्रतिवादी डोमा का ही नाम राजस्व अभिलेख में चला आ रहा है जिसके संबंध में वादी के द्वारा कोई आपित्त भी नहीं की गयी परंतु वादी अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि वर्ष 2002 में वादी द्वारा विवादित भूमि पर नामांतरण के संबंध में

अपील (प्रदर्श प्री-4) प्रस्तुत की गयी थी परंतु वादी को पेशी तारीख की जानकारी न हो पाने पर वह आगे कार्यवाही में भाग नहीं ले पायी।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श प्री—4) का अवलोकन किये जाने से दर्शित है कि वादी के द्वारा आवेदन में यह लेख किया गया है कि ख. नं. 13 की भूमि पर उसका आधिपत्य है फिर भी प्रतिवादी डोमा का नाम विवादित भूमि पर दर्ज कर दिया गया है जिसे हटाया जाये। स्पष्टतः वादी के द्वारा नामांतरण आदेश के संबंध में आपत्ति की जाना दर्शित होता है। प्रतिवादी के द्वारा ऐसा कोई भी राजस्व दस्तावेज या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि प्रतिवादी कृ. 01 डोमा का नाम विवादित भूमि पर किस आधार पर आया जो कि प्रतिवादी द्वारा अपने हक के आधार का सर्वोत्तम साक्ष्य है जिसे उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी दशा में भी प्रतिवादी के विरुद्ध उपधारणा की स्थिति निर्मित होती है। स्वयं प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. (प्रदर्श डी—12) के अवलोकन से वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य होना भी दर्शित नहीं हो रहा है।

प्रितवादी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि स्वयं वादी ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वह विवादित भूमि को बटायी पर देती थी। स्पष्टतः विवादित भूमि पर उसका कब्जा नहीं था। तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि भूमि को बटायी पर दिये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि स्वामी का उस पर आधिपत्य नहीं है। तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि वादी के द्वारा विवादित भूमि बटायी पर दिये जाने से उसका भौतिक आधिपत्य नहीं था, तब भी वादी का विवादित भूमि पर विधिक स्वत्व प्रमाणित पाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का विवादित भूमि पर विधिक आधिपत्य माना जायेगा।

18 प्रतिवादी अधिवक्ता ने तर्क के दौरान प्रकट किया है कि विवादित भूमि के संबंध में आधिपत्य के प्रश्न पर निराकरण व्य.वा.क. 17ए/2015 में किया जा चुका है। पुनः से उसी वाद प्रश्न के संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। जबिक वादी अधिवक्ता ने तर्क किया कि मात्र उपर्युक्त व्यवहार वाद के निर्णय से पूर्व न्याय की बाधा नहीं आती है।

19 तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि व्य.वा.क. 17ए/2015 की सत्यापित प्रतिलिपि (प्रदर्श डी—11) के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त प्रकरण में वादी पक्षकार नहीं थी। साथ ही प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा मात्र निर्णय की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गयी है। वाद पत्र एवं लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तब ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्व वाद एवं इस वाद के वाद विषय या विवाद्यक सारतः या प्रत्यक्षतः समान थे या नहीं। अतः

ऐसी दशा में वर्तमान वाद को पूर्व न्याय से बाधित नहीं माना जा सकता।

20 उपर्युक्त साक्ष्य विवेचना अनुसार वादी का विवादित भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य होना प्रमाणित पाया जाता है। अतः तदानुसार वाद प्रश्न क. 01 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

### वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण

वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क. 01 डोमा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहता है और उसके संबंध में प्रतिवादी क. 01 उसे धमकी भी देता है। अतः ऐसी स्थिति में जबिक वाद प्रश्न क. 01 की विवेचना अनुसार विवादित भूमि पर वादी का विधिक स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित हुआ है परंतु वर्तमान में विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01 डोमा के नाम पर दर्ज है। अतः प्रतिवादी द्वारा वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही ऐसी दशा में जबिक प्रतिवादी के द्वारा वादी के विरुद्ध धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. का आवेदन भी राजस्व न्यायालय में दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में वादी अपने आधिपत्य पर प्रतिवादी को हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार वाद प्रश्न कमांक 02 "हां" के रुप में निष्कर्षित किया जाता हैं।

## वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वाद कारण वर्ष 2011 बताया 22 गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क है कि वादी को राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी का विवादित भूमि पर नाम दर्ज होने की जानकारी प्रारंभ से ही है। अतः ऐसी स्थिति में दावा समयावधि से बाहर है। वादी के द्वारा प्रस्तृत दस्तावेज (प्रदर्श प्री-4) के अवलोकन से दर्शित है कि वादी के द्वारा वर्ष 2002 में विवादित भूमि पर प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिये जाने के संबंध में अपील प्रस्तत की गयी थी। स्वयं प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के पैरा क. 04 में यह अभिवचन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 09.01.2009 को अदम पैरवी में खारिज की गयी है। यदि तर्क के लिए वादी के द्वारा बताये गये वाद कारण वर्ष 2011 न भी माना जाये तब उस स्थिति में वाद कारण 09.01.2009 से माना जायेगा। वादी के द्वारा दावा दिनांक 04.01.2012 को प्रस्तूत किया गया है। अतः वाद कारण दिनांक 09.01.2009 से तीन वर्ष के भीतर वादी के द्वारा स्वत्व घोषणा हेतू दावा प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि समयावधि के भीतर माना जायेगा। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक ०४ "नहीं" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

### वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

23 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि वह ग्राम सेमरया जोशी तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 13 रकबा 1.594 हे. भूमि वादी संलग्न नक्शा अ, ब, स, ड से दर्शित विवादित भूमि की एकमात्र स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी है एवं वादी यह भी प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उसके आधिपत्य में प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है एवं दावा समयावधि में है। फलतः वादी का दावा स्वीकार कर निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—

- 1. वादी ग्राम सेमरया जोशी तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 13 रकबा 1.594 हे. भूमि वादी संलग्न नक्शा अ, ब, स, ड से दर्शित विवादित भूमि की एकमात्र स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी है।
- 2. उपर्युक्त विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य में प्रतिवादी को हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है।
- 3. प्रकरण में प्रतिवादी स्वयं के साथ—साथ वादी के वाद का व्यय भी वहन करेगा।
- 4. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल